ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 321-324

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

जनसंख्या की साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना की विशेषताएं

ब्रजेश कुमार पाण्डेय

प्रवक्ता–भूगोल, ब्रह्मदेव सुशीला महिला महाविद्यालय, मुहम्मदपुर, बिल्थरा रोड, बलिया (उ0प्र0) भारत।

Received- 04.11.2019, Revised- 08.11.2019, Accepted - 13.11.2019 E-mail: - drbrajeshkumarpandey@gmail.com

सारांश : *मानव संसाधन राष्ट्रीय निधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मानवीय कुशलता एवं ज्ञान के विकास हेतु साक्षरता एक अनिवार्य तत्व है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदंड निश्चित किया जाता है। साक्षरता का गरीबी उन्मूलन, मानसिक एकाकीपन के समाप्तिकरण, शांतिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्माण तथा जनसांख्यिकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र क्रियाशीलता में भारी योगदान है (चाँदना, सिद्धू, 1980)। किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास का साक्षरता पर प्रभाव अवश्यम्भावी होता है। प्राथमिक क्षेत्रक से सम्बद्ध अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में न्यून साक्षरता पायी जाती है। इसके विपरीत उत्कृष्ट रहन–सहन वाले परिवारों में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।*

कुंजीभूत शब्द– वैष्णव भक्ति, सगुणात्मक, विग्रह, कल्पना, नीलोत्पल वर्ण, चतुर्भुजधारी, पुण्डरीकाक्ष, अंधकार।

साक्षरता– साक्षरता की संकल्पना का तात्पर्य न्यूनतम साक्षरता निपुणता से है। निम्नतम साक्षरता स्तर का मापदण्ड मौखिक रूप से विचार विनिमय से लेकर विभिन्न प्रकार की कठिन परिकल्पनाओं तक की भिन्नता लिए हुए होता है। कभी–कभी पाठशाला शिक्षा अवधि के आधार पर भी साक्षरता एवं निरक्षरता का निर्धारण किया जाता है। साथ ही देश की प्रचलित भाषा में नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता के आधार पर भी साक्षरता की निर्धारण किया जाता है। सन् 1930 में फिनलैण्ड में साक्षरता निर्धारण के लिए सबसे कठिन परिभाषा को अपनाया गया। इसमें केवल उन लोगों को साक्षर माना गया जो कुछ कठिन प्रश्नों को हल कर सकते थे। जो इसमें असफल रहे उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया– अर्द्ध शिक्षित तथा अशिक्षित। इसके विपरीत सन् 1961 की हांगकांग की जनगणना में कोई भी व्यक्ति जो यह कहता था कि वह कोई एक भाषा पढ़ सकता है, उसके लिए यह अनुमान कर लिया गया कि वह लिख भी सकता है तथा उसे साक्षर माना गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है। भारत में 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय पाँच वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया, जबकि 1981, 1991 तथा 2001 की जनगणना में साक्षरता दर के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। 2001 की जनगणना में उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जो किसी भाषा को पढ़, लिख अथवा समझ सकता है। साक्षर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो या कोई परीक्षा पास की हो (भारत की जनगणना 2001)।

साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक– यदि साक्षरता को सभ्य और आदिम समाज में विभेद का आधार मान लिया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास का स्तर और साक्षरता प्रतिरूप एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं अर्थात् साक्षरता के विसरण एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास के मध्य उच्च धनात्मक सह सम्बन्ध है। वस्तुतः साक्षरता की वृद्धि और प्रसार को प्रभावित करने वाले निम्न मुख्य तत्व हैं–

1. अर्थव्यवस्था का प्रकार,
2. नगरीकरण का स्तर,
3. जीवन स्तर,
4. जातीय संरचना,
5. समाज में स्त्रियों की दशा,
6. शिक्षा लागत,
7. शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता,
8. यातायात व संचार के साधनों का विकास,
9. तकनीकी विकास का स्तर, और
10. सार्वजनिक नीति।

अर्थव्यवस्था साक्षरता प्रतिरूप निर्धारण का प्रमुख कारक है। गोल्डन (1968, पृ. 415) ने लिखने की कला की खोज को आर्थिक विभेदन का प्रतिफल माना है। वर्तमान समय में कृषिगत अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

में साक्षरता का स्तर इसीलिए अत्यधिक भिन्न–भिन्न है। पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन है, साक्षरता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अकृषीय रोजगार के लिए साक्षरता पूर्व आवश्यकता है। इसी कारण विश्व के अनेक क्षेत्रों में आज भी व्यावसायिक आवश्यकतानुसार ही साक्षरता की प्रवृत्ति निर्धारित होती है।

नगरीकरण एवं साक्षरता में धनात्मक सह–सम्बन्ध है। उच्च नगरीकरण वाले क्षेत्रों में साक्षरता उच्च या सर्वव्यापक है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता निम्न है। ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में जहाँ अल्प साक्षरों की ही आवश्यकता पड़ती है, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्रियाकलापों में विभिन्न स्तर के साक्षर व तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विविध पारिवारिक कार्यों में बच्चे भी सहायता करने लगते हैं और इस तरह शिक्षा से विमुख हो जाते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक कार्यों में बच्चों के लिए कोई अवसर नहीं रहता है, फलतः वे सुविधानुकूल शिक्षा प्राप्त करते हैं।

जीवन–स्तर के साथ भी साक्षरता का धनात्मक सह–सम्बन्ध होता है। निम्न जीवन–स्तर वाले क्षेत्रों में साक्षरता भी निम्न होती है। निम्न जीवन–स्तर वाले परिवारों में बच्चे प्रायः धनार्जन के साधन बन जाते हैं। जिससे उनके साक्षर होने का अवसर ही समाप्त हो जाता है।

विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता उसकी अपनी विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। वर्तमान समय में जागरूकता के कारण विभिन्न जातियों में प्रतिद्वन्द्विता के परिणामस्वरूप सभी में साक्षरता की दर बढ़ रही है।

किसी भी समाज की जनसंख्या में लगभग आधी संख्या स्त्रियों की होती है। इस कारण उनके सामाजिक स्तर तथा उनकी शिक्षा के प्रति भाव का साक्षरता स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन समाजों में स्त्रियों को परिसंचरण की स्वतंत्रता नहीं है या जिनमें स्त्री–शिक्षा के प्रति प्रतिकूल भाव है वहाँ भी उनकी साक्षरता दर निम्न है एवं फलतः सामान्य साक्षरता दर भी निम्न है। मुस्लिम समुदाय में स्त्रियों के प्रति अधिक भेदभाव के कारण उनमें स्त्री साक्षरता दर विश्व में न्यूनतम है। इसके विपरीत ईसाई समुदाय की स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत उच्च रहता है।

यातायात एवं संचार साधनों का अल्पविस्तार विकासशील समाज में ग्रामीण क्षेत्रों को अलग–थलग कर देता है जिससे नवाचारों का विस्तार दूर–दूर तक नहीं हो पाता है, फलतः ग्रामीण समाज नवचेतना विहीन हो जाता है। भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में साक्षरता का कम होना यहाँ शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव, शैक्षणिक संस्थानों के नगरों में केन्द्रीकरण तथा शिक्षा के व्ययसाध्य होने के कारण ही है। इसके विपरीत उच्च तकनीकी विकास वाले देशों में शिक्षा का स्तर क्रमशः अधिक ऊँचा होता जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है, परिणामस्वरूप साक्षरता स्तर में वृद्धि अपरिहार्य हो जाती है।

पिछड़े देशों में साक्षरता प्रसार बहुत कुछ शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धि पर आधारित है। साक्षरता दर और शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धि में धनात्मक सह–सम्बन्ध है। प्रति शिक्षण संस्था पर व्यक्तियों की संख्या जितनी कम होती है, साक्षरता दर उतनी ही उच्च होती है। लोगों की साधारण भौतिक एवं आर्थिक पहुँच में शिक्षण संस्थाएं जितनी अधिक होती हैं, साक्षरता व शिक्षा प्रसार में उतनी ही सरलता होती है।

सरकारी नीतियाँ भी साक्षरता की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती हैं। प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था, प्रौढ़–शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि साक्षरता वृद्धि में सहायक होते हैं। ईरान, भूतपूर्व सोवियत संघ तथा चीन में प्रौढ़–शिक्षा योजना तथा इस दिशा में अन्य सरकारी योजनाओं का साक्षरता के प्रसार में भारी योगदान रहा है। भारत में छठवें दशक के बाद विभिन्न वर्गों हेतु छात्रवृत्तियों, आर्थिक सहायता एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के कारण साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि हुई। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान आदि कार्यक्रमों द्वारा साक्षरता प्रसार में सकारात्मक योगदान मिला है। 93वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 6–14 वर्ष आयु–वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की योजना से साक्षरता में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावना है।

व्यावसायिक संरचना– व्यावसायिक संरचना किसी भी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं एवं विकास का दर्पण होती है। यह आर्थिक ढाँचे के स्वरूप को स्पष्ट करती है तथा इससे यह ज्ञान होता है कि कोई क्षेत्र कृषि प्रधान है या उद्योग प्रधान। जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। व्यावसायिक संरचना किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति और उसमें होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालती है।

किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रमुख उपविभागों में बाँटा जा सकता है– 1. आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील जनसंख्या अथवा श्रम शक्ति, जो आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में संलग्न है जिसमें 15–59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की प्रधानता है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

2. आर्थिक दृष्टि से अकार्यशील जनसंख्या अथवा निर्भर व्यक्ति जैसे बच्चे, सेवामुक्त व्यक्ति, छात्र–छात्राएं, पत्नियां, पेंशन–भोगी अथवा किराया भोगी व्यक्ति।

अस्तु, व्यावसायिक संरचना की सुस्पष्ट व्याख्या हेतु सबसे पहले कार्यशील जनसंख्या का ज्ञान आवश्यक है। इस तरह सम्पूर्ण जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है–

1. कार्यशील, तथा
2. अकार्यशील

सर्वप्रथम 1981 की जनगणना में किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को तर्कसंगत ढंग से स्पष्ट किया गया। इसके अनुसार अर्थिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की तीन स्थितियां हो सकती हैं–

1. मुख्य कार्य करने वाला,
2. सीमान्तिक कार्य करने वाला,
3. काम न करने वाला।

अर्थात् क्रियाशील जनसंख्या के दो मुख्य वर्ग हैं– वह व्यक्ति जो वर्ष के अधिकांश समय (कम से कम 183 दिन) आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहा हो, उसे मुख्य कार्य करने वाला अथवा मुख्य कर्मकार कहते हैं। जबकि वे व्यक्ति जिन्होंने विगत वर्ष में कुछ ही समय काम किया हो, परन्तु वर्ष के अधिकांश समय में काम न किया हो, उन्हें सीमांतिक कार्य करने वाला कहते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने संदर्भ वर्ष के अन्तर्गत कोई काम नहीं किया हो, उन्हें काम न करने वाला या अकार्यशील माना जाता है।

मुख्य कर्मकारों को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जाता है–

1. कृषक,
2. कृषि श्रमिक,
3. पारिवारिक उद्यम तथा
4. अन्य कर्मकार।

1. कृषक– कृषक वह व्यक्ति माना जाता है जो अकेले या कार्यकर्ता के रूप में सपरिवार अपनी स्वयं की जमीन, सरकारी पट्टे पर प्राप्त या किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से बटाई या किराये पर ली गई अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त भूमि पर खेती करता है।

2. कृषि श्रमिक– जो व्यक्ति नकद या जिन्स के रूप में मजदूरी लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में काम करता है वह कृषि श्रमिक या खेतिहर मजदूर कहलाता है। उसे खेती में लाभ–हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, वह केवल दूसरों के खेत में मजदूरी करता है।

3. पारिवारिक उद्यम– इस उद्योग से तात्पर्य ऐसे उद्योग से है, जो वंशानुगत हो एवं उसमें परिवार के अधिकांश सदस्य कार्यरत हों तथा उनकी आय का अधिकांश भाग उसी उद्योग से प्राप्त होता हो तथा यह उद्योग परिवार के मुखिया एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर पर या ग्रामीण क्षेत्र में गाँव की सीमा के अन्दर चलाया जाता है। इस उद्योग से आशय किसी वस्तु का उत्पादन, संसाधन या मरम्मत से होता है, जैसे हथकरघा से बुनाई, रंगाई, बढ़ईगिरी, बीड़ी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, साइकिल की मरम्मत, लोहारगिरी, सिलाई इत्यादि। यह उद्योग इस पैमाने पर नहीं होना चाहिए कि भारतीय कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड होने योग्य या होने में आता हो।

4. अन्य कर्मकार– कृषक, कृषि श्रमिक या पारिवारिक उद्योग में कार्यरत व्यक्यिों को छोड़कर सभी काम करने वाले इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में कारखाने और बागवानी में काम करने वाले, सरकारी कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, अध्यापक, पुजारी, मनोरंजन करने वाल, व्यापारी, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, खनन, निर्माण का काम करने वाले आदि व्यक्ति आते हैं।

व्यवसाय के क्षेत्रक– उल्लेखनीय है कि व्यवसायों को 4 प्रमुख वर्गों– प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय तथा चतुर्थक व्यवसाय में बाँटा जाता है।

प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक व्यवसाय वे व्यवसाय हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। कृषि कार्य में मिट्टी का प्रत्यक्ष उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जल क्षेत्रों से मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना, वनों से लकड़ियां काटना, फल एकत्रित करना, पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खालें, हड्डियां आदि प्राप्त करना प्राथमिक व्यवसाय है। इनसे सम्बन्धित उद्योगों को प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, जैसे कृषि करना, खानें खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना वस्तुओं का संचय करना, वन सम्बन्धी अन्य उद्योग आदि।

द्वितीयक व्यवसायों के अन्तर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता वरन् उनको साफ, परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। इससे इनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र अथवा अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज बनाना आदि। इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के विनिर्माणी उद्योग सम्मिलित किये जाते हैं। तृतीयक व्यवसायों के अन्तर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित किये जाते हैं जो प्राथमिक अथवा द्वितीयक उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता, उद्योगपतियों तक पहुँचाने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार के व्यवसायों के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अन्तर्गत वस्तुओं का स्थानान्तरण, संचार और संवादवाहन सेवाएं, वितरण एवं संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं जैसे व्यापारी, दलाल, पूँजीपति आदि को सम्मिलित किया जाता है।

चतुर्थक व्यवसायों के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण, नेतागिरी, अनुसंधान, प्रशासन इत्यादि कार्यों को चतुर्थक व्यवसाय के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chandana, R.C. (2002), "Population Geog raphy (in Hindi) Kalyani Publishers New Delhi.
2. Chandana, R.C. and Siddhu, M.S. (1980), "Introduction to Population Geography" Kalyani Publications, New delhi.
3. Ojha, R. (1983), "Jansankhya Bhoogol" Pratibha Prakashan, Kanpur.
4. Singh, M.B. and dubey, K.K. (2001), "Pupulation Geography" Rawat Publications, Jaipur.
5. Singh, J. (2003), "Economic Geography" (in Hindi), Gyanodaya Prakashan, Gorakhpur.
6. Mamoria, C.B. (1996), "Economic Geogra phy (in Hindi), Sahitya Bhawan Publication, Agra.
7. Bhattacharya, A. (1978), Population geog raphy of India, shri Publishing House, New Delhi.
8. Trewartha, G.T. (1969), "A Geography of Population : World Patterns" John Willy and sons, New York.
9. Yadav, H.L. (1997), "Jansankhya Bhoogol" (in Hindi), Vasundhara Prakashan, Gorakhpur.

*****